

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली / 2020-21 / लीज छूट / 89 / 482

दिनांक : 7/10/2020

—: कार्यालय आदेश :-

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि / 3 / 2011 पार्ट जयपुर दिनांक 23.09.2020 के आदेश के क्र. स. 01 के अनुसार आदेश क्रमांक प.5(3)नविवि / 3 / 1999 जयपुर दिनांक 30 अप्रैल 2020 की निरन्तरता में बकाया लीज एक मुश्त 31 मार्च 2021 तक जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।


वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम / द्वितीय / तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव- मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव / वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम / द्वितीय / तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त वृत्त राज. आवा. मं.,
11. आवासीय अभियन्ता, खण्ड राज. आवा. मं.,
12. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. लेखाधिकारी (वृत्त) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. कम्प्यूटर ऑपरेटर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर के आदेश क्रमांक प.5(3)नविवि / 3 / 1999 जयपुर दिनांक 30 अप्रैल 2020 को मण्डल की वेबसाइट पर ल. वा. व. सभी को मेल करें।
15. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार